संख्या-3 /2016/305/18-4-2016-21(विविध)/14

प्रेषक,

राम निरंजन,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,
उद्योग निदेशालय एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 17 फरवरी,2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत उ0प्र0 हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014 के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-24/2015/1351/18-4-2015-21(विविध)/14 दिनांक 03-09-2015 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-10 में उल्लिखित लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-102-लघु उद्योग-10-उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014-सहायता-अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के स्थान पर लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-102-लघु उद्योग-10-"उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" पढ़ा जाय।

2. उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राम निरंजन)
संयुक्त सचिव।

संख्या-3/2016/305(1)/18-4-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3-महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-।)सी0ए0एस0एस0-3/ टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर।
8-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनुभाग-3
9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।